संख्या-13/2018-434 ई-2/तेरह-2018-101/2015

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 13 फरवरी,2018

विषय:- वर्तमान सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-324/दस-लाइसेंस-294/होलोग्राम आपूर्ति/ यूफ्लैक्स लि0/2017-18, दिनांक 06 फरवरी,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वर्तमान सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक इकाई का कार्यकाल टेण्डर डाक्यूमेन्ट वर्ष 2012-13 के प्रस्तर-17 एवं अनुबंध पत्र के प्रस्तर-9 के अन्तर्गत विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 25 जनवरी,2018 में की गई व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01-04-2018 से आबकारी विभाग में होलोग्राम के स्थान पर नई सुरक्षा प्रणाली लागू की जानी है। उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि नई सुरक्षा प्रणाली के तकनीकी प्रबन्धन हेतु आसवनियों को कम से कम 20 दिन का समय दिया जाना आवश्यक होगा। अत: समस्त आसवनियों को निर्देशित कर दिया जाय कि वे दिनांक 10 मार्च,2018 तक, दिनांक 31 मार्च,2018 तक के लिये अपनी अनुमानित खपत के अनुसार होलोग्राम की प्राप्ति सुनिश्चित कर लें, क्योंकि दिनांक 01 अप्रैल,2018 से नई आबकारी नीति लागू हो जायेगी।

3- अतएव आपके उक्त पत्र दिनांक 06 फरवरी,2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/ संस्तुति एवं राजस्वहित के दृष्टिगत होलोग्राम की सुचारू आपूर्ति हेतु 2012-13 में चयनित वर्तमान सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक मेसर्स यूफ्लैक्स लि0, ए-1 सेक्टर-60, नोएडा, गौतमबुद्धनगर का कार्यकाल टेण्डर डाक्यूमेन्ट वर्ष 2012-13 के प्रस्तर-17 एवं अनुबंध पत्र के प्रस्तर-9 में निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों एवं दरों पर दिनांक 18-02-2018 से दिनांक 10-03-2018 तक अन्तिम बार बढ़ाया जाता है। तद्नुसार दिनांक 10-03-2018 के उपरान्त होलोग्राम आपूर्ति की व्यवस्था बन्द किये जाने के सम्बन्ध में आपूर्तक को ससमय अवगत करा दिया जाय।

भवदीया,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in